सं0 11030/1/99-अ॰भा॰से॰ (II)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, जुलाई 31, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र-सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य पदों पर नियुक्त भा0प्र0से0 के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक मई 13, 1998 तथा जुलाई 13,1998 के पत्र संख्या 11030/3/98-अ0भा0से0 (II) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा केन्द्र-सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य पदों पर नियुक्त भा0प्र0से0 के अधिकारियों की उनके संवर्ग में अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान में पदोन्नति होने पर इस विभाग की सहमति से भा0प्र0से0 के अधिसमय वेतनमान का अधिकतम वेतन आहरित करने की अनुमति प्रदान की गयी है । यह विभाग ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय यह सुनिश्चित करता है कि संवर्गों में दी गयी ऐसी सभी पदोन्नतियों में समय-समय पर जारी संगत नियमों तथा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया हो, विशेषकर इस बात का कि संबंधित राज्य संवर्गों द्वारा ऐसे अधिकारियों को सेवा के 25 वर्ष पूरे किए जाने के बाद ही अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान में पदोन्नत किया गया हो । इस उद्देश्य हेतु निर्णायक तारीख संबंधित वर्ष की एक जुलाई निश्चित की गयी है तथा उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करने वाले अधिकारियों को संशोधित वेतनमान में लाभ 1॰1॰96 से दिया जाएगा ।

2॰ इस विभाग के सितम्बर 17, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/98 स्था0(घ) के जारी होने के बाद जिसमें विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए किसी अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख संबंधित वर्ष की एक जुलाई से संशोधित करके एक जनवरी कर दी गयी है । भा0प्र0से0 के संबंध में भी ऐसे निर्देश जारी किए जा रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र-सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुलल्य पदों पर नियुक्त भा0प्र0से0 के अधिकारियों को भी अब दिनांक 13॰05॰98 तथा 13॰07॰98 के उपर्युक्त पत्रों के अंतर्गत 01॰01॰96 से प्रभावी संशोधित वेतनमानों में लाभ प्रदान करने पर विचार किया जाएगा यदि वे अपनी सेवा के 26वें वर्ष की एक जुलाई से पहले, परन्तु किसी भी हालत में उस वर्ष की 1 जनवरी से पहले नहीं, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से पूर्व अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान में अपने संवर्गों में पदोन्नत हो गये थे ।

3॰ भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसे सभी मामलों की जाँच पुनः करें तथा उन्हें इस विभाग को दोबारा भेजें जिनमें दिनांक 13॰05॰98 तथा 13॰07॰98 के पत्रों के अधीन उपलब्ध लाभ इस सविभाग द्वारा पहले इसलिए मंजूर नहीं किया गया था कि संबंधित अधिकारी अपनी सेवा के 26वें वर्ष

की 1 जुलाई से पहले अपने संवर्ग में अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान में पदोन्नत किए गए थे । उपर्युक्त लाभ केवल संशोधित वेतनमानों में 01·01·96 से उपलब्ध होगा । दूसरे शब्दों में, पात्र अधिकारियों को यह लाभ 01·01·96 से मिलेगा यदि वे केन्द्र में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य पदों में उक्त तारीख से पहले कार्यरत थे और यदि वे 01·01·96 के बाद नियुक्त हुए थे तो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ।

4· अनुरोध है कि इस पत्र के विषय-वस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में ला दी जाए ।

(पी· के· गेरा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग